

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)**

**दा0प्र0क0-331 / 16**  
**संस्था0दि0 18 / 07 / 16**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

**:- विरुद्ध :-**

सावन पिता दीपक, उम्र 24 वर्ष,  
 जाति स्वीपर, पेशा पढाई, निवासी टण्डन केम्प बोडखी,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्त**

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 18 / 07 / 2016 को घोषित)**

- 1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 / 196 के तहत अभियोग है कि दिनांक 28 / 05 / 16 समय 10 बजे करीबन मंदिर हेंड पम्प के आगे मेन रोड ठानी माल आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 में लोकमार्ग पर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 48 एम.के. 3388 को उतावलेपन या उपेक्षा से इस प्रकार चलाया जिसमें मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो जाये। उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।
- 2- प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 18 / 07 / 16 को अभियुक्त और फरियादी इसराईल, इशाक शाह के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-337 का अपराध राजीनामा योग्य होने से अभियुक्त को भा0दं0वि0 की धारा 337 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी वार्ड नं. 5 आमला रहता है पान ठेला की दुकान चलता है। दिनांक 28 / 05 / 16 के सुबह करीब 10 बजे की बात है वह उसके बड़े भाई ईशाक के साथ बैतूल से आमला उसकी मोटर साईकिल डिस्कवर से आ रहे थे तभी ग्राम ठानी के पास मंदिर व हेंड पंप के आगे आमला तरफ से आ रही मोटर साईकिल एफ0जेड0एस0 के चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक चालक उसकी मोटर साईकिल से टक्कर मार दिया। टक्कर मारने से वह लोग मोटर साईकिल सहित गिर गये गिरने से उसे दाहिनी आंख के उपर बांये

हाथ में बाएं पैर में चोट आई है। चोट आने से वह बेहोश गया था उसके बड़े भाई ईशाक को भी कोहनी तथा बांये पैर में चोट लगी। गाडी का नं. उसके बड़े भाई ईशाक ने देखा है जिसका नं एम0पी0 48 एम.के. 3388 हैं। घटना आने जाने वाले लोगों व गांव के लोगों तथा मेरे भाई ईशाक ने देखी है। फिर किसी गांव वालों ने 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, 108 एम्बुलेंस से उसका बड़ा भाई इलाज हेतु आमला अस्पताल लेकर आया। आमला से डाक्टर ने बैतूल रिफर कर दिया फिर बैतूल अस्पताल में इलाज के बाद राठी अस्पताल में इलाज करवाया। राठी अस्पताल से डॉक्टर द्वारा नागपुर रिफर कर दिया। नागपुर में इलाज कराने के बाद उसके बड़े भाई ईशाक व बेटे अफजल के साथ आया हूँ रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।

4— प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अप0कं0-267/16 भा.द.सं धारा-279, 337 एवं मो0व्ही0ए0 की धारा 146/196 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 04/06/16 को नक्शा मौका प्र0पी0 4 तैयार किया। आहतगण मेडिकल मुलाहिजा किया गया। दिनांक 28/06/16 एवं दिनांक 01/07/16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 02 एवं 06 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। दिनांक 28/06/16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 7 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 28/05/16 समय 10 बजे करीबन मंदिर हेंड पम्प के आगे मेनरोड ठानी माल आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 में लोकमार्ग पर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 48 एम.के. 3388 को उतावलेपन या उपेक्षा से इस प्रकार चलाया जिसमें मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो जाये?”

2— “ उक्त दिनांक समय व स्थान आपने वाहन को बिना बीमा के चलाया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

7— अभियोजन साक्षी ईसराईल (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28/05/16 की होकर ग्राम ठानी के पास मंदिर के आगे मेन रोड की सुबह 10 बजे की थी। घटना के समय वह तथा उसके भाई ईशाद के साथ बैतूल से आमला जा रहा था तभी आमला की ओर से आरोपी सावन एफ0जे0 कम्पनी की मोटर साईकिल एम0पी0 48 एम.के. 3388 चलाकर लाया और दोनों की मोटर साईकिल एकदम से टक्करा गई जिससे वे सड़क पर गिर गये। मोटर साईकिल तेजगति एवं

लापरवाही से नहीं चल रही थी। इस गवाह को शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि आरोपी सावन ने मोटर साईकिल कं0 एम0पी0 48 एम.के. 3388 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना की थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि आरोपी सावन गाड़ी को धीरे-धीरे चला रहा था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि दोनों गाड़ियाँ धीरे चल रही थी। इस प्रकार इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मोटर साईकिल वाहन कं. एम0पी0 48 एम.के. 3388 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाया गया।

8— अभियोजन साक्षी इशाक शाह (अ0सा02) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी एस0डी0 साहू (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी इशाद के निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 4 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 28/06/16 को आरोपी सावन से गवाहों के समक्ष मोटर साईकिल जिसका कं एम0पी0 48 एम.के. 3388 उसका रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेन्स जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी इजराईल, इशाक रामकली, रवि के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। दिनांक 01/07/16 को प्रार्थी इजराईल के पेश करने पर उसके इलाज के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— आगे इस गवाह ने बताया कि उसने उसी दिनांक को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह गवाह विवेचना अधिकारी है और यह गवाह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। स्वयं फरियादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चला रहा था। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक कं एम0पी0 48 एम.के. 3388 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाया। इस प्रकार विचारण प्रश्न कं0 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न कं0 2 का निराकरण

12— अभियोजन साक्षी एस0डी0 साहू (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आरोपी से वाहन का बीमा मांगा था लेकिन आरोपी ने घटना दिनांक को बिना बीमा के मोटर साईकिल चलाना बताया था। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष को कोई खंडन व चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार यही माना जायेगा कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को वाहन मोटर साईकिल को बिना बीमा के चलाया।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने

वाहन मोटर साईकिल कं एम0पी0 48 एम.के. 3388 को बिना बीमा के चलाया। इस प्रकार विचारण प्रश्न कं0 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

14— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक कं एम0पी0 48 एम.के. 3388 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाया। किन्तु उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक कं एम0पी0 48 एम.के. 3388 को बिना बीमा के चलाया। इस प्रकार अभियुक्त सावन को भा0द0वि0 की धारा 279 के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है किन्तु मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

15— प्रस्तुत तर्क एवं अभिलेख के अवलोकन उपरांत अभियुक्त को मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध के आरोप में अभियुक्त सावन को 300/—(तीन सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

16— प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

17— प्रकरण में जप्त शुदा वाहन कं एम0पी0 48 एम.के. 3388 को वाहन के पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0